OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin Singh Bhadauria I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 9/10/2022 at time 2 P.M. at Almora in which application claiming rights **of Quarban** area measuring 0.9331 **hec.** for the पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikiyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated...09/10/2020...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0-9331 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु **district Almora within jurisdiction of Tamadhun And Kaihargoun Village (s) in syalday tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.9331hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

District Collector.
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vinod kumar)

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No........................... Dated. 09/10/2020........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.9331 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु **district Almora within jurisdiction of Tamadhun And kaihargoun Village (s) in Syalday tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.9331 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Quarban** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Nitin Singh Bhadauria
District Collector, Almora

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.9331 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 कुल 0.9331 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग, के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 04-09-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राहुल शाह............ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राहुल शाह............ उपजिलाधिकारी, स्याल्दे अध्यक्ष

2– श्री भूपाल सिंह किरौला............ उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत, सदस्य

3– श्री गणेश सिंह............ सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत / सचिव .... वि0 ख0 .... (अल्मोड़ा)

4– श्री सूरज मेहरा............ बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

(54) (17)

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत.......... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **स्याल्दे** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत** वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव **निर्माण कार्य** हेतु **0.9331** हे0 भूमि, लो0नि0वि0, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

R—

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R—

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भिकियासैन, जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कैहड़गॉव

तहसील– स्याल्दे व जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.9331 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कैहड़गॉव द्वारा दिनांक 29/08/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कैहड़गॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0,(प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

इन्दु देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत कैहड़गांव
वि0ख0–स्याल्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कैहड़गांव
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

(43) (20)

कैहडगॉव

2.4

आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 29/08/2020 को आमसभा की बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि षासन द्वारा स्वीकृत पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य *हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य हेतु सिविल भूमि एवं नाप भूमि देने में ग्रम–तामाढौन एवं कैहडगॉव के ग्रमवासियों एवं ग्रमसभा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।*

समस्त उपस्थित ग्रामवासी	पति/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1– खुशाल सिंह	कुवर सिंह	खुशाल सिंह
2– अनुली देवी	श्री कुन्दन सिंह मियाँ	अनुली मियाँ
3– बालम सिंह	श्री उमराव सिंह	बालम सिंह
4– कुसमा देवी	श्री रूप सिंह	कुसमा देवी
5– पुष्पा देवी	श्री वीरेन्द्र सिंह	पुष्पा देवी
6– पार्वती देवी	चन्दन सिंह	पार्वती देवी
7– बचुली देवी	नैन सिंह	बचुली देवी
8– करन सिंह	चन्दन सिंह	[illegible]
9– जगत सिंह	श्री गोपाल सिंह	Jagat Singh

चन्दन सिंह
सरपंच
वन पंचायत कैहडगॉव
पो० व० चौकोट, ... (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत कैहडगॉव
पो० व० ... (अल्मोड़ा)

इन्दु देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत कैहडगॉव
वि०ख०–स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्रम प्रधान

प्रपत्र—30.3

परियोजना का नामः— पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम तामाढ़ौन

तहसील— स्याल्दे व जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.9331 है0 वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तामाढ़ौन द्वारा दिनांक 30/8/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तामाढ़ौन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0,(प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत तामाढ़ौन
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत तामाढ़ौन
वि0 ख0 व तहसील स्याल्दे
अल्मोड़ा

(48) (23)

तामाढौन 24

आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 30-08-2020 को आमसभा की बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि षासन द्वारा स्वीकृत पी0एम0जी0एस0वाई0पी0आई0यू0सल्ट के अर्न्तगत वल्मरा से साटेर(कैहडगॉव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य हेतु सिविल भूमि एवं नाप भूमि देने में ग्रम–तामाढौन एवं कैहडगॉव के ग्रमवासियों एवं ग्रामसभा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

समस्त उपस्थित ग्रामवासी

1– करनसिंह — करन सिंह
2– पुरनसिंह — Puransingh
3–
4– हर सिंह
5– Bisht — बलवन्तसिंह
6– राजेन्द्र मर्तोलिया
7– कुन्दन सिंह — कुन्दन सिंह
8– शेरसिंह — S S
9–
10– पूरनसिंह मनराल — पूरन सिंह मनराल

जोगासिंह — गोविंदसिंह

हरी सिंह — हरी सिंह

(हस्ताक्षर)
प्रधान
ग्राम पंचायत तामाढौन
वि0 ख0 व तहसील स्याल्दे
अल्मोड़ा

(46) (22)

प्रपत्र--30.4

दिनांक 30-08-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूरन सिंह मनराल	पुरन सिंह
2	पूरन सिंह	Puransingh
3	करन सिंह	[illegible]
4	किशन सिंह	किशनसिंह
5	हरसिंह	[illegible]
6	बलवन्तसिंह	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
9	शेरसिंह	[illegible]
10	पूरनसिंह मनराल	पूरन सिंह मनराल
	जगतसिंह हरी सिंह	[illegible] हरी सिंह

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
नि0 ख0 व तहसील स्याल्दे
अल्मोड़ा